163/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 163/2016 अनवानी श्री साहबराम विद्यार्थी, पूर्व पार्षद, वार्ड न0 19, सादुलशहर बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

A3
1

06–02–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री साहब राम विद्यार्थी उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से सूचनाएं चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा उसका आवेदन पत्र दिनांक 23.09.16 के पत्र द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए भिजवा दिया गया। उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपने पत्र सं0 585 17.10.16 के द्वारा जबाब दिया जाकर सूचनाएं उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे व लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे व उन्हे दण्डित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री साहब राम विद्यार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2016 के द्वारा निम्न सूचनाएं चाही थीः–

> सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना दी जावे की क्या राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, श्रीमान जिला कलक्टर, संभागीय आयुक्त, सचिव लोकायुक्त, प्रधानमन्त्री, व प्रधान नगर नियोजक कार्यालय–इन सभी से उपखण्ड अधिकारी तत्कालीन नरेन्द्र पुरोहित का पद बड़ा था।
>
> जिसने मोटी रकम लेकर सभी नियमो को दर किनार करके व अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर ग्राम पंचायत करडवाली की चक 10 केआरडबल्यू की 14 बीघा नहरी भूमि को ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी. लिए वगैरा ही 17.05.10 को कृषि भूमि को अकृषि भूमि में संपरिवर्तन कर दिया–क्या उपखण्ड अधिकारी को इसका अधिकार है। अगर अधिकार है तो किस नियम के तहत है नियम बताया जावे। उपखण्ड अधिकारी को मात्र 2500 दरगज का अधिकार, जिसका नियम सलंग्न है।
> (2) उपखण्ड अधिकारी का फैसला 2500 दरगज से उपर श्रीमान जिला कलक्टर को 50000 दरगज का अधिकार है नियम सलंग्न है।
>
> 50000 दरगज से उपर का अधिकार राज्य सरकार को है वह भी मुख्य नगर नियोजक व मुख्यमन्त्री बैठक करके 90बी की स्वीकृति प्रदान की जाती है नियम सलंग्न है। नरेन्द्र पुरोहित तत्काकलीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा 14 बीघा भूमि का संपरिवर्तन का फैसला सलंग्न है। जबकि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा 3–3 बीधा की 2 पत्रावली क्षेत्राधिकार से बाहर होने का हवाला देकर 22.02.2010 को निरस्त कर दी थी जिसकी फोटो प्रति सलंग्न है।
>
> इसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी ने मात्र 3 महीने बाद ही मोटी रकम लेकर संपरिवर्तन कर दिया। उपखण्ड अधिकारी ने किस नियम के तहत की है मुझे उस नियम की सूचना दी जावे। उपखण्ड अधिकारी ने ऐसा किसके दबाब में किया है सूचना दी जावे। उपर लिखे सभी तथ्यो की इस नियम के तहत सूचना दी जावे। अन्यथा श्रीमानजी मेरा यह प्रकरण सरकार आपके द्वार अभियान में दर्जकर लगाया जावे या फिर सूचना अधिनियम अधिकार के तहत सूचना दी जावे

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर द्वारा अपना प्रतिवेदन सं0 852 दिनांक 21.11.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना जरिये पत्र सं0 585 दिनांक 17.10.2016 से उपलब्ध रिकार्ड अनुसार दी जा चुकी है जो निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गयी है:—

> आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई सूचना निम्न प्रकार से प्रेषित है:—
> (1) उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड स्तर का अधिकारी होता है।
> (2) तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा 90 बी की कार्यवाही की गई, आप द्वारा सलंग्न आदेश की प्रति में आप द्वारा चाही गई सूचना निहित है।
> (3) चाही गई सूचना काल्पनिक होने के कारण दिया जाना संभव नही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगे जाने वाली सूचना स्पष्ट होनी चाहिए और किसी निश्चित अभिलेख की होनी चाहिए और जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 17.10.2016 सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिएः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम की भावनाओ को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी अपने द्वारा चाही गई सूचनाओ से संबंधित उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे तो उसे नियमानुसार निरीक्षण करवा दिया जावे और उसमें से किसी निश्चित अभिलेख की सूचना लेना चाहे तो अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। लोक आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

424-25
21/02/17

आदेश आज दिनांक 06.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर